

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन

प्रशासी विभाग का नाम —				दिनांक —
क्रम सं.	कंडिका सं./सिविल/रा.प्रा.	लंबित कंडिका का विवरण	प्रशासी विभाग का उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

नोट - अनुपालन प्रतिवेदन 15 प्रति में बिहार विधान सभा को, 5 प्रति में प्रधान महालेखाकार (ले.प.) बिहार, पटना को तथा 2 प्रति में वित्त-विभाग को उपलब्ध कराया जाए।